अध्यक्ष,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण
देहरादून

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.11.2014 में संकल्प सं0 4 के अन्तर्गत ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा के परमिट जारी न करने के सम्बन्ध में विक्रम मालिक चालक एसोशिएशन, शिवानन्द झूला, मुनि की रेती, ऋषिकेश, को–आर्डिनेटर, बसपा, विधान सभा, क्षेत्र, ऋषिकेश तथा श्री किशोर उपाध्याय, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदेश कॉग्रेस कमेटी, देहरादून के पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इन पत्रों में यह कहा गया है कि ऋषिकेश बहुत छोटा शहर है। यहॉ पर यात्रा सीजन 04 माह रहता है, शेष 08 माह आफ सीजन में यात्रियों की भारी कमी रहती है। उक्त पत्रों के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा के और परमिट जारी न किये जायें। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 के संकल्प सं0 30(ब) द्वारा ऋषिकेश केन्द्र के परमिट जारी करने के आदेश पारित किये गये थे। इन आदेशों के अनुपालन में ऋषिकेश केन्द्र के 238 अभ्यर्थियों को स्वीकृत पत्र जारी किये गये हैं तथा 02 प्रार्थियों ने परमिट प्राप्त कर लिये हैं।

ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्रार्थीयों की ओर से श्री दिनेश गोयल उपस्थित हुये। उन्होंने प्रार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पत्र में यह कहा गया है कि ऋषिकेश में देश विदेश के पर्यटक यात्रा पर आते हैं। जिससे परिवहन ब्यवसायी को रोजगार मिलता है। वर्ष 2010 के पश्चात ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी नहीं किये गये हैं। टिहरी विस्थापित लोगों को ऋषिकेश के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बसाया जा रहा है। इन लोगों को यातायात उपलब्ध कराने के उचित साधन नहीं है। ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने से बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने निवेदन किया की जनहित में ऋषिकेश केन्द्र के परमिट जारी किये जाये।

ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के विरूद्ध विभिन्न स्तरों से निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुये हैं। इन पत्रों में यह कहा गया है कि ऋषिकेश में पूर्व से ही अधिक संख्या में ऑटो रिक्शा व विक्रम संचालित हो रहे हैं। नगर में वाहनों के पार्किग की समुचित व्यवस्था नहीं है। जबकि इन वाहनों के संचालन हेतु एक ही सडक मार्ग ऋषिकेश– हरिद्वार उपलब्ध है। इस मार्ग पर सभी प्रकार के हल्के व भारी वाहन संचालित होते है। मार्ग पर तथा शहर में आये दिन जाम एंव प्रदूषण की समस्या के कारण जनता परेशान होती है। इन पत्रों में अनुरोध किया गया है कि ऋषिकेश में ऑटो रिक्शा के नये परमिट जारी किया जाना व्यवहारिक एंव जनहित में नहीं है।

1. श्री सुबोध उनियाल, मा0 सदस्य विधान सभा।
2. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान सभा।
3. श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद।
4. श्रीमती लक्ष्मी सजवाण, सदस्य जिला पंचायत, ऋषिकेश।
5. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मुनी की रेती, टिहरी गढवाल।
6. श्रीमती अनिता कण्डवाल, सदस्य जिला पंचायत, रायवाला।
7. श्री राजपाल खरोला, प्रदेश महासचिव, उत्तराखण्ड कॉग्रेस कमेटी।
8. ग्राम प्रधान, ग्राम सभा खाण्ड, रायवाला।
9. श्रीमती विनीता बिष्ट, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, नरेन्द्र नगर।
10. श्री दीपक गौनियाल, संघर्स सामाजिक संस्था, ऋषिकेश।
11. श्री सुरेश उनियाल, प्रधान, ग्राम सभा, तपोवन।

12. श्री राजकुमार अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, देवभूमि उत्तरांचल उद्योग व्यापार मण्डल, ऋषिकेश।

13. प्रधान, ग्राम सभा रायवाला, देहरादून।
14. प्रधान, ग्राम पंचायत, गौहरी माफी, रायवाला।
15. प्रधान, ग्राम पंचायत, प्रतीत नगर, देहरादून।
16. उत्तराखण्ड, प्रदेश विक्रम टैम्पो महांसघ, इन्दिरा नगर, देहरादून।
17. ऑटो रिक्शा मालिक एंव चालक संघ, ऋषिकेश।

इसके अतिरिक्त ऑटो रिक्शा मालिक एंव चालक संघ, ऋषिकेश की ओर से श्री संजय चौधरी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में ऋषिकेश से लगभग 629 ऑटो रिक्शा एंव 434 विक्रम टैम्पो संचालित हैं। इन वाहनों से 2000 से 2500 लोगों को रोजगार प्रदान हो रहा है। वर्ष 2013 के माह जून में राज्य में आयी आपदा से काफी कम संख्या में यात्री आ रहे हैं। जिससे उनका परिवहन व्यवसाय प्रभावित हुआ है। उन्होंने निवेदन किया है कि ऋषिकेश केन्द्र हेतु नये परमिट जारी न किये जायें।

प्राधिकरण के समक्ष हरिद्वार केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के विरूद्ध श्री मॉगेराम, महामंत्री, पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ, विक्रम एसोशिएशन, ललतारो पुल, हरिद्वार ने एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि हरिद्वार क्षेत्र में लगभग 4000 ऑटो रिक्शा व विक्रम टैम्पो वाहनें संचालित हो रही है। इन वाहनों के संचालन से शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। अब नये परमिट दिये जाने से स्थिति और भी दयनीय और भयंकर हो गयी है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि जिन लोगों ने वर्ष 2010 में परमिट प्राप्त किये थे। 03 वर्ष पूरे होने के बाद उनके द्वारा अपनी वाहन परमिट सहित बेच कर वर्ष 2014 में पुनः परमिट प्राप्त किये जा रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि परिस्थितियों को देखते हुये अग्रिम 05 वर्षों तक नये परमिट दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का कष्ट करें और नये परमिट जारी करना अभिलम्ब बन्द कराया जाये।

प्राधिकरण की बैठक में श्री हरिओम झा, को–आडिनेटर, पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ, हरिद्वार ने भी अवगत कराया कि हरिद्वार में लगभग 3679 ऑटो रिक्शा एंव विक्रम टैम्पो वाहनें संचालित हो रही है। इसके अतिरिक्त 500 बैटरी चालित वाहनें भी संचालित हो रही है। साल भर लगभग 60 मेले हरिद्वार में लगते है, इन मेलों में अन्य प्रदेशों से सैकडो वाहनें हरिद्वार आती हैं। जिससे शहर में जाम की भयावह स्थिति बनी रहती है। उन्होंने निवेदन किया है कि हरिद्वार शहर में ऑटो रिक्शा एंव विक्रम टैम्पो के नये परमिट जारी न किये जायें।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एंव क्षेत्राधिकारी (पुलिस) की संयुक्त कमेटी गठित की जाती है। जो निम्नलिखित बिन्दुओ पर प्राधिकरण को अपनी आख्या उपलब्ध करायेगीः–

1. ऋषिकेश/ हरिद्वार केन्द्र हेतु ऑटो रिक्शा के परमिटों हेतु प्राप्त आवेदनों की जॉच कर ऐसे आवेदकों की सूची जो विगत 03 वर्षो में ऑटो रिक्शा/विक्रम टैम्पो के परमिट धारक रहे हो।

2. सम्बन्धित क्षेत्र में ऑटो रिक्शा वाहनों हेतु ऐसे कम दूरी के मार्गों का सर्वे कर प्रस्ताव, जहॉ विस्थापन एंव विकास गतिविधियों के कारण नयी कॉलोनियों का निर्माण हुआ हो तथा परिवहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नही हो पा रही हो। प्रस्तावित मार्ग सामान्यतयाः 5 से 15 किमी0 की दूरी के होगें। विशेष परिस्थितियों में कारण का उल्लेख करते हुये उक्त सीमा का अतिक्रमण किया जा सकता है।

3. परमिट की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु परमिट अन्तरण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आख्या। इसके लिये स्थानीय चालकों, परमिट धारकों, परिवहन संगठनो, जनप्रतिनिधियों एंव स्थानीय जनता से सुझाव प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. सम्बन्धित क्षेत्र की पार्किंग सुविधा एंव यातायात के दवाब के दृष्टिगत वर्तमान में संचालित ऑटो वाहन के अतिरिक्त कितने ऑटो वाहनों को परमिट जारी किये जा सकते है? संयुक्त कमेटी के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को प्रेषित की जायेगी। जिसे प्राधिकरण के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा तब तक ऋषिकेश एंव हरिद्वार केन्द्र के परमिट एंव स्वीकृति पत्र जारी नहीं किये जायेगें।

प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं0 10638/आरटीए–7(ए)/2014 दिनांक 27.11.14 के द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार/ऋषिकेश को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश ने पत्र सं0 10/प्रवर्तन/2015 दिनांक 03.01.2015 के द्वारा श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उपजिला अधिकारी, ऋषिकेश, श्री हरबंस सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश एंव श्री आन्नद कुमार जायसवाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश की संयुक्त आख्या प्रेषित की है(आख्या संलग्न है)।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार ने पत्र सं0 221/प्रवर्तन–हरिद्वार/मार्ग सर्वे/2014–15 दिनांक 17.01.2015 के द्वारा श्री वीर सिंह बुंदियाल, उपजिलाधिकारी, हरिद्वार, श्री चन्द्र मोहन, क्षेत्राधिकारी पुलिस, एंव श्री सुनील शर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार की संयुक्त आख्या प्रेषित की है(आख्या संलग्न है)।

विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत ।

स्थानः– देहरादून।

दिनांकः–19 जनवरी, 2015

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 21.01.2015 की कार्यवाही।

उपस्थित :–

1. श्री सी0 एस0 नपलच्याल, आई0ए0एस0, आयुक्त, गढ़वाल मंडल। — अध्यक्ष

2. श्री रमेश बुटोला, 144/11, नेशविला रोड़, देहरादून। — सदस्य

3. श्री दिनेश चन्द्र पठोई, संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून। — पदेन सचिव

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यालय की टिप्पणी एंव आदेश दिनांक 17.01.2015 एंव दिनांक 19.01.2015 में पारित आदेश "***दिनांक 21.01.2015 पूर्वान्ह 11 बजे शिविर कार्यालय में आवश्यक बैठक प्राधिकरण की आहूत की जाय।***" के अनुपालन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्राधिकरण हेतु नामित दो सदस्यों में से एक सदस्य श्री अरविन्द शर्मा उपस्थित नहीं हुये। उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली– 2011 के नियम 57 के (1) (दो) में प्राविधानित है कि "***प्राधिकरण में दो या तीन सदस्य होने की दशा में–दो***" अर्थात 03 सदस्यीय प्राधिकरण में अध्यक्ष एंव एक सदस्य श्री रमेश बुटोला उपस्थित थे। कोरम पूर्ण होने की दशा मे अध्यक्ष महोदय के द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई।

संकल्प सं0–01 इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.14 एंव दिनांक 10.11.14 में ऋषिकेश, हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्रों हेतु ऑटो रिक्शा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में पारित आदेशों के सम्बन्ध में विचार किया गया था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.14 के संकल्प सं0 30(ब) द्वारा ऋषिकेश, हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्रो से ऑटो रिक्शा वाहनों के परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किये थेः–

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि हरिद्वार, ऋषिकेश एंव रूडकी केन्द्रो के लिये 3+1, 4+1 एंव 5+1 वाहनों के ऑटो रिक्शा परमिट निम्नलिखित शर्तों के साथ आगामी 05 वर्षों हेतु नई ऑटो रिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.2014 तक जारी किये जायेंगे, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। हरिद्वार एंव ऋषिकेश (पहाडी मार्गो को छोडकर) के परमिट 25 किमी0 अर्द्धव्यास एंव रूडकी केन्द्र के परमिट 16 किमी0 अर्द्धव्यास के लिये स्वीकृत किये जाते हैं।

1–हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्र हेतु आवेदक हरिद्वार जनपद का स्थाई निवासी हो तथा ऋषिकेश केन्द्र हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश के अधिसूचित कार्यक्षेत्र का स्थाई निवासी हो। इस हेतु मतदाता परिचय पत्र/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2–आवेदक बेरोज़गार हो।

3–आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।

4–आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।

5–परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के सन्दर्भ में ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी नहीं करने के सम्बन्ध में विक्रम मालिक चालक एसोशिएशन, शिवानन्द झूला, मुनि की रेती, ऋषिकेश, को–आर्डिनेटर, बसपा, विधान सभा, क्षेत्र, ऋषिकेश तथा श्री किशोर उपाध्याय, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदेश कॉग्रेस कमेटी, देहरादून के पत्रों को तथा हरिद्वार केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के विरूद्ध श्री मॉगेराम, महामंत्री, पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ, विक्रम एसोशिएशन, ललतारो पुल, हरिद्वार तथा अन्य ने परमिट जारी करने के विरूद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये थे। इन प्रत्यावेदनों पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.14 में संकल्प सं0 4 के अन्तर्गत विचारोपरान्त निम्नखिखित आदेश पारित किये थे।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि *सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एंव क्षेत्राधिकारी (पुलिस) की संयुक्त कमेटी गठित की जाती है। जो निम्नलिखित बिन्दुओ पर प्राधिकरण को अपनी आख्या उपलब्ध करायेगीः–*

1. ऋषिकेश/ हरिद्वार केन्द्र हेतु ऑटो रिक्शा के परमिटों हेतु प्राप्त आवेदनों की जॉच कर ऐसे आवेदकों की सूची जो विगत 03 वर्षो में ऑटो रिक्शा/विक्रम टैम्पो के परमिट धारक रहे हो।

2. सम्बन्धित क्षेत्र में ऑटो रिक्शा वाहनों हेतु ऐसे कम दूरी के मार्गों का सर्वे कर प्रस्ताव, जहॉ विस्थापन एंव विकास गतिविधियों के कारण नयी कॉलोनियों का निर्माण हुआ हो तथा परिवहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नही हो पा रही हो। प्रस्तावित मार्ग सामान्यतयाः 5 से 15 किमी0 की दूरी के होगें। विशेष परिस्थितियों में कारण का उल्लेख करते हुये उक्त सीमा का अतिक्रमण किया जा सकता है।

3. परमिट की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु परमिट अन्तरण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आख्या। इसके लिये स्थानीय चालकों, परमिट धारकों, परिवहन संगठनो, जनप्रतिनिधियों एंव स्थानीय जनता से सुझाव प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. सम्बन्धित क्षेत्र की पार्किंग सुविधा एंव यातायात के दवाब के दृष्टिगत वर्तमान में संचालित ऑटो वाहन के अतिरिक्त कितने ऑटो वाहनों को परमिट जारी किये जा सकते है?

संयुक्त कमेटी के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को प्रेषित की जायेगी। जिसे प्राधिकरण के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा तब तक ऋषिकेश एंव हरिद्वार केन्द्र के परमिट एंव स्वीकृति पत्र जारी नहीं किये जायेगें।

प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार/ऋषिकेश को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश ने पत्र सं0 10/प्रवर्तन/2015 दिनांक 03.01.2015 के द्वारा श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उपजिला अधिकारी, ऋषिकेश, श्री हरबंस सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश एंव श्री आन्नद कुमार जायसवाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश की संयुक्त आख्या प्रेषित की है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार ने पत्र सं0 221/प्रवर्तन–हरिद्वार/मार्ग सर्वे/2014–15 दिनांक 17.01.2015 के द्वारा श्री वीर सिंह बुंदियाल, उपजिलाधिकारी, हरिद्वार, श्री चन्द्र मोहन, क्षेत्राधिकारी पुलिस, एंव श्री सुनील शर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार की संयुक्त आख्या प्रेषित की है।

(1) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश ने उपरोक्त संयुक्त आख्या के द्वारा सूचित किया है कि समिति द्वारा सहमति से यह विचार व्यक्त किया गया कि जिन नये ऑटो/विक्रम वाहनों को परमिट स्वीकृति के आधार पर पूर्व में पंजीकृत किया जा चुका है के अतिरिक्त, नये ऑटो/विक्रम वाहनों को परमिट जारी किया जाना उचित नहीं होगा।

1. ऋषिकेश क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त प्रकार के वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गों की सूची प्रेषित की हैः–

1. नटराज चौक–मंसा देवी– श्यामपुर पुलिस चौकी– खत्री खड़क माफी – अनुमानित दूरी– 7 किमी0
2. श्यामपुर पुलिस चौकी– भटोवाला गॉव से निर्मल आई हासपिटल– अनुमानित दूरी 5 किमी0
3. नीम करोली मन्दिर– आई0डी0पी0एल0– एम्स– आवास विकास कॉलोनी मार्ग– अनुमानित दूरी 6 किमी0
4. रानीपोखरी– घमण्डपुर – अनुमानित दूरी 7 किमी0।
5. कान्हरवाला– सूरवीर सिंह चौक– अपर जौली ग्रान्ट– अनुमानित दूरी 7 किमी0।
6. जौलाग्रॉट– अठूरवाला– बालकुमारी गॉव– अनुमानित दूरी– 7 किमी0
7. डांडी– भोगपुर थानों– अनुमानित दूरी– 8 किमी0
8. रायवाला प्रतीत नगर– जीआरटीयू रायवाला– 06 किमी0।
9. लालतप्पड– रेशम माजरी– जीवनवाला– 08 किमी0
10 मन्सादेवी रेलवे क्रासिंग– मन्सादेवी गॉव– 05 किमी0।
11. आईडीपीएल– गीता नगर– आवास विकास कॉलोनी– 07 किमी0।

2. उपरोक्त मार्गों के अतिरिक्त उन्होंने यह भी सूचित किया है कि रानीपोखरी ग्रमीण केन्द्र के मार्ग घमण्डपुर, डाडी, लिस्टराबाद, नटराज चौक– श्यामपुर– गुमानीवाला– नेपाली फार्म तिराहा– भानियावाला तिराह– भोगपुर में समुचित संख्या में लगभग 120 परमिट 07/08 सीटर क्षमता के वाहनों को जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

3. परमिट हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सूचित किया गया है कि हस्तान्तरण पर रोक लगाने से सरकार को राजस्व की हानि होगी पूर्व में 2001 से 2006 तक परमिटों के हस्तान्तरण पर रोक लगी थी, जिससे काला बाजारी बढ गयी थी। परमिट हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे सुझाव दिया है कि परमिट हस्तान्तरण उस ब्यक्ति के नाम पर किया जाना उचित होगा जिसके पास पूर्व में कोई अन्य परमिट न हो, इसके अतिरिक्त एक परिवार में एक परमिट की नीति को लागू किया जाना उचित होगा।

4. आख्या में यह भी कहा गया है कि शहर में पार्किग व्यवस्था नही होने के कारण शहर के मुख्य मार्गों की पटरी पर ही वाहन खडे किये जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। यह विचार व्यक्त किया गया है कि पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु शहर में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग स्थल बनाया जाना आवश्यक है।

(2) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार ने अपनी संयुक्त आख्या के द्वारा सूचित किया है कि हरिद्वार क्षेत्र के अन्तर्गत ऑटो परमिट देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गों का सर्वेक्षण किया गया हैः–

1. बिहारी गढ– बुग्गावाला मार्ग – 8.4 किमी0
2. झबरेडा– चूडियाला– भगवानपुर –गागलहेडी (उ0प्र0 की सीमा तक) – 24 किमी0।
3. चण्डीदेवी– काली मन्दिर चीला वन विभाग गेट तक – 7.5 किमी0।
4. मंगलौर – लखनौता तिराहा– ग्लास फैक्टरी (उ0प्र0 की सीमा तक) – 11.5 किमी0।
5. खानपुर–सुल्तान पुर– ब्रहमपुर (उ0प्र0 की सीमा तक) – 19 किमी0।
6. लक्सर से ब्रहमपुर – लगभग 16 किमी0

उक्त आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि परमिट की काला बाजारी पर अंकुश लगाने हेतु परमिट के हस्तान्तरण की प्रकिया को सुनियोजित करते हुये कुछ अतिरिक्त शर्तें लगायी जायें। परमिट हस्तान्तरण के पश्चात परमिट धारक को अगले 10 वर्षो तक परमिट जारी न किया जाये। परमिट हस्तान्तरण विशेष परिस्थितियों में जैसे धारक के गम्भीर रूप से बीमार होने, अन्य स्थान पर बसने, फाईनेन्सर का पैसा अदा न करने अथवा आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ही किया जाये।

उन्होंने सूचित किया है कि हरिद्वार केन्द्र में अधिक संख्या में ऑटो संचालित हैं, नये ऑटो को परमिट दिये जाना जनहित एंव दुर्घटना की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। नये परमिट उपरोक्त इंगित क्षेत्रों में देना श्रेस्यकर होगा, जिससे सदूर गॉवों एंव कस्बों को परिवहन कि उचित सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जिसका विवरण बिन्दु 2 में उल्लेखित है।

प्राधिकरण ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), ऋषिकेश तथा हरिद्वार द्वारा प्रेषित उक्त आख्याओं का अवलोकन किया। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों तथा अन्य सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है किः–

(क) <u>ऋषिकेश केन्द्र</u>

1. ऋषिकेश कार्यालय में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 तथा दिनांक 10.11.14 में पारित आदेशों के क्रम में जिन 40 प्रार्थियों के द्वारा अपनी वाहनों का पंजीयन करा दिया गया है। उनको ऋषिकेश केन्द्र से पहाडी मार्गों को छोडकर 25 किमी0 अर्द्वब्यास के परमिट जारी कर दिये जायें।

2. प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 10.09.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार जिन प्रार्थियों को स्वीकृत पत्र जारी किये गये हैं परन्तु उनके द्वारा वाहन का पंजीयन नहीं कराया गया है उनको परमिट जारी करने के सम्बन्ध संयुक्त समिति द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र के सुझाये गये उक्त 11 मार्गों में से सभी मार्गों अथवा 04 या 05 मार्गों को जोडकर एक क्लस्टर बनाकर परमिट देने की सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश से आख्या प्राप्त कर बैठक में प्रस्तुत की जाये। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश उक्त सुझाये गये 11 मार्गों में से लाभदायक, कम लाभदायक मार्गों में वर्गीकरण कर 3–4 मार्गो का क्लस्टर बनाकर (प्रत्येक मार्ग में आवश्यक परमिटों की संख्या सहित) संस्तुति करेंगे, जिससे वाहन स्वामियों को प्रर्याप्त आजीविका एंव सम्बन्धित मार्ग के आसपास की जनसंख्या को प्रर्याप्त परिवहन सुविधा मिल सके। प्राप्त आख्या विचार हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) हरिद्वार केन्द्र

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनों के संचालन हेतु संयुक्त समिति की आख्या में जिन 06 मार्गों का सर्वेक्षण कर सूची प्रेषित की है। उनमें से अधिकत्तर मार्ग रूडकी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। हरिद्वार में वर्ष 2016 में होने वाले अर्द्व कुम्भ को देखते हुये प्राधिकरण के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार एंव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रूडकी की एक कमेटी गठित करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि वे हरिद्वार शहर मे आने वाले मार्गों का सर्वेक्षण कर ऐसे मार्गो की सूची प्रेषित करें जिनमें ऑटो रिक्शा वाहन संचालित किये जा सकें। हरिद्वार में काफी ओद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। यदि हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य केन्द्र ऑटो रिक्शा संचालन हेतु निर्मित किया जा सकता है तो इस सम्बन्ध में भी आख्या उपलब्ध करायें। पूर्व संयुक्त समिति की उक्त आख्या में सुझाये गये 06 मार्गों के साथ नये सुझाये जाने वाले मार्गों पर मार्गवार कितने–कितने परमिट स्वीकृत किया जाना उचित होगा की आख्या प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने अपनी बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 6 के द्वारा वाहन पंजीयन के पश्चात विलम्ब से परमिट प्राप्त करने पर निम्नलिखित प्रशमन शुल्क निर्धारित किया हैः–

1. **नई पंजीकृत यात्री वाहनों के लिये**

(क) पंजीकृत होने के पश्चात सात दिन तक – निशुल्क।
(ख पंजीकृत होने के सात दिन के पश्चातः–
12 सीटिंग क्षमता तक की वाहन(चालक को छोडकर) – रू0 1000 प्रति माह।
12 सीटिंग क्षमता से अधिक की वाहन (चालक को छोडकर) – रू0 1500 प्रति माह

2. **भार वाहनों के लियेः–**

(क) पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात सात दिन तक – निशुल्क।

(ख) सात दिन के पश्चातः–

हल्की भार वाहन –रू0 500 प्रति माह।

मध्यम भार वाहन –रू0 1000 प्रति माह।

भारी माल वाहन –रू0 2000 प्रति माह।

प्राधिकरण ने विचार किया कि उक्त वाहनों को दिनांक 10.09.14 की बैठक में स्वीकृति के आधार पर पंजीयन किया गया था। परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.14 के संकल्प सं0 4 द्वारा परमिट जारी किया जाना स्थगित किया गया था। जिस कारण पंजीयन की तिथि एंव परमिट प्राप्त करने पर विलम्ब होना स्वभावित है। जिसमें वाहन स्वामी की कोई त्रुटि नहीं है।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त निर्णय से प्रभावित ऐसे वाहन जो दिनांक 30.11.14 तक पंजीकृत हो चुके हैं परन्तु उनके द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किया जा सका। उन वाहनों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 6 में निर्धारित प्रशमन शुल्क से मुक्त किया जाता है।

संकल्प सं0–02

इस मद के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर– मालदेवता मार्ग पर हल्की चार पहिया वाहनों का स्टैज कैरिज परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में विचार किया गया।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.14 में देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर चल रही 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों की संख्या बढ़ाये जाने तथा इन वाहनों को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया था। परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में उक्त प्रकार की वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाने के विरूद्ध याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई थी। इस याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर रोक लगा दी थी। जिससे उक्त मार्ग पर पूर्व से जारी अस्थाई परमिटों पर संचालित वाहनों को पुनः अस्थाई/स्थाई परमिट जारी करना स्थगित कर दिया गया था। इन आदेशों के विरूद्ध जिसके विरूद्ध मार्ग के वाहन स्वामियों के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2319/एमएस/2014 दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल ने दिनांक 02.12.2014 को याचिका का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये हैं। पारित आदेशों के मुख्य अशं निम्नवत हैंः–

"Mr. A.K. Joshi, learned Additional Cheif Standing Counsel appearing for the respondents, submits that application of the petitioners seeking renewal of temporary permit shall be considered and decided in accordance with law preferably within sixty days from today."

इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने दिनांक 19.11.14 को याचिका सं0 2076/एमएस/14 के साथ याचिका सं0 2119/एमएस/14 एंव 2127/एमएस/14 का निस्तारण किया है। चूकि उक्त तीनो याचिकाओं में विधि के समान प्रश्न सम्मिलित होने के कारण एक ही निर्णय से निस्तारित किया है। उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में शासकीय अधिवक्ता, देहरादून से विधिक राय देने हेतु निवेदन किया गया था। शासकीय अधिवक्ता ने अपने पत्र दिनांक 18.12.14 के द्वारा अपनी विधिक राय में उल्लेख किया है कि जो टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा

मैजिक अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूरी करते हों उनके पक्ष में स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

प्राधिकरण ने उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय लिया कि टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाती है। जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून अध्यक्ष तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून सस्दय होगें। समिति द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एंव मोटर गाडी अधिनियम एंव नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकार के वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी के सन्दर्भ में अपनी आख्या/मन्तब्य प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की आख्या को प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

रमेश बुटोला,
सदस्य
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

कार्यवृत्त तैयारकर्ता–
दिनेश चन्द पठोई, पदेन सचिव,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

सी0 एस0 नपलच्याल (आई0ए0एस0)
अध्यक्ष
आयुक्त, गढ़वाल मंडल।